हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

अष्टम् सत्र

सोमवार, 16 मार्च, 2015/25 फाल्गुन, 1936(शक्)

2.00 बजे (अपराह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

(1) तारांकित:

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) अतारांकित:

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य:**

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य देंगे।

3. **कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (फर्स्ट अमेंडमेंट) रूल्ज़, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या:का0(नि-4)-ए(3)-1/2012 दिनांक 31.01.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 09.02.2015 को प्रकाशित; और

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (एग्जैम्पशन फ्रॉम कंसलटेशन) (टवेन्टि नाईन्थ ॲमेंडमेंट) रेगुलेशनज़, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या:पर(एपी-बी)ए(3)-2/2014-25 दिनांक 10.02.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.03.2015 को प्रकाशित ।

(2) **श्री अनिल कुमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री,** भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 62(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद् का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

4. सदन की समिति के प्रतिवेदन :

श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2014-15), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति का **86वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (राज्य के वित्त/सिविल/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा **उद्यान विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **87वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (राज्य के वित्त/सिविल) पर आधारित तथा **खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** से सम्बन्धित है ।

5. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा:

दिनांक 11 मार्च, 2015 को **श्री इन्द्र दत्त लखनपाल,** सदस्य द्वारा प्रस्तुत तथा **श्री बम्बर ठाकुर,** सदस्य द्वारा अनुसमर्थित निम्न प्रस्ताव पर आगे चर्चा:-

"इस सदन में एकत्रित सदस्य, महामहिम राज्यपाल महोदय का, दिनांक 11 मार्च, 2015 को उन्हें सम्बोधित करने के लिए, ह्दय से आभार प्रकट करते हैं ।"

शिमला-171 004
दिनांक: 13 मार्च, 2015

सुन्दर सिंह वर्मा,
सचिव ।

****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)